पत्रावली सं0 196/2019 सरकार बनाम किशोर सिंह व अन्य

आज का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
8-10-19	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री किशोर सिंह पुत्र श्री बंजीर सिंह जाति रामनाथिया निवासी 12 BNPA में फसल रबी/खरीफ सम्वत/सन् 2026 में गांव/चक नं0 12 BNPA के भू0 नं0 15 में बीघा सिंचित व असिंचित कुल 2.024 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। यह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल खुर्द बरदे बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकामा की 60 गुणा पेनल्टी राशि रू0 810 अक्षरे रू0 आठ सौ दस रूपये अधिरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को खुर्द बुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी0 आर0 ए0 को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर काश्त बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावें। तहसीलदार (राजस्व) राजसिंहनगर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Bishnoi
Date: 2019.11.21 17:06:46 IST
Reason: SelfAttested